08/5/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभ॰ पक्ष उप॰। वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

RCMS 2025/398

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.15 19:05:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 198/2025 GCMS:- 2025/398 **दायर दिनांक : 25.06.2025**

करमजीत कौर पत्नी सज्जनसिंह जाति बाजीगर निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) **—वादीया**

बनाम

1. **गुरूदेव पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी घमण्डिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
2. **ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी घमण्डिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
3. **मीरां पुत्री सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी घमण्डिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
4. **शाखा प्रबन्धक, केनरा बैंक, शाखा सूरतगढ़**
5. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़**
6. **उप—पंजीयक, सूरतगढ़**

—प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

<u>वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92—ए, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उपस्थित :

1. श्री कुलविन्द्र सिंह, अभिभाषक वादीया
2. पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ़

<u>निर्णय</u> **दिनांक : 08.05.2026**

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में पत्रावली के विचारण तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया ने एक वाद बाबत घोषणा व चिरस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92—ए, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम से खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 7 जी.एम.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 75 के खाता सं. 4/15 के पत्थर नं. 69/304 (12) के किला नं. 1 से 4/1.012 है0, 5/1 में 0.228 है0, 5/2 में 0.02[illegible] [illegible]/1 में 0.228 है0, 6/2 में 0.025 है0, 7 से 14/2.024 है0, 15/1 में [illegible] है0, 15/2 में 0.025 है0, 16/1 में 0.228 है0, 16/2 में 0.025 है0, 17 से 24/2.024 है0, 25/1 में 0.228 है0, 25/2 में 0.025 है0 = 6.325 है0 कमाण्ड मय खाला भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जिसमें से प्रतिवादी सं. 1 गुरूदेव ने अपने नाम अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.15 19:05:32 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

2108/6325 हिस्सा भूमि में से 0.633 है0 भूमि दिनांक 29.05.2024 को व 0.253 है0 भूमि 26.11.2024 को पंजीबद्ध बैयनामों के द्वारा वादीया को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया था। चूंकि उक्त भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 4 से ऋण लिया हुआ है और प्रतिवादी सं. 1 ऋण चुकता नहीं कर रहा है, इसलिए प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा वादीया के हक में करवाए गए उक्त बैयनामों का इन्तकाल राजस्व रिकॉर्ड में नहीं हो रहा है। वादीया ने प्रतिवादी सं. 1 से भूमि रहनमुक्त करवाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी सं. 1 ने मौजीजान व्यक्तियों की पंचायत में भूमि रहनमुक्त करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया और जैरवाद भूमि अपने नाम अंकित होने का कहते हुए भूमि को पुनः विक्रय करने की धमकी दी। यदि प्रतिवादी सं. 1 अपने मकसद में कामयाब हो गया तो वादीया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरपाई रूपयों–पैसों से होनी मुश्किल है, इसलिए वादीया ने वाद–पत्र के साथ बैयनामों की चित्रप्रतियां प्रस्तुत कर बैयनामों के आधार पर वाके चक 7 जी.एम.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 75 के खाता सं. 4/15 के पत्थर नं. 69/304 (12) के किला नं. 1 से 4/1.012 है0, 5/1 में 0.228 है0, 5/2 में 0.025 है0, 6/1 में 0.228 है0, 6/2 में 0.025 है0, 7 से 14/2.024 है0, 15/1 में 0.228 है0, 15/2 में 0.025 है0, 16/1 में 0.228 है0, 16/2 में 0.025 है0, 17 से 24/2.024 है0, 25/1 में 0.228 है0, 25/2 में 0.025 है0 = 6.325 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 2108/6325 हिस्सा भूमि में से 0.886 है0 भूमि का वादीया को खातेदार कृषक घोषित किये जाने व भूमि में दखलन्दाजी नहीं किये जाने एवं रहन, बैय आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं किये जाने तथा मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु प्रतिवादीगण को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 व 6 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी सं. 4 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि किसी भी प्रकार की घोषणा, निषेधाज्ञा व रिकॉर्ड में परिवर्तन के आ[illegible] उस[illegible] अधिकारों की सुरक्षा करते हुए किये जावे और यदि ऐसा संभव न हो तो [illegible] द्वारा सम्पूर्ण ऋण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.15 19:05:32 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

अदायगी किये जाने के पश्चात् ही किसी भी प्रकार की घोषणा, निषेधाज्ञा व रिकॉर्ड में परिवर्तन के आदेश जारी किये का निवेदन किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। स्टेट की ओर जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर जवाब स्टेट बन्द कर साक्ष्य लिये गये। वादीया ने स्वयं के बयान शपथ–पत्र पर प्रस्तुत किये और असल बैयनामों पर प्रदर्श अंकित करवाये एवं इसी आधार पर वाद स्वीकार करने का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिरह शून्य रही। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए, इसलिए साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द किये जाकर बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक वादीया ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रस्तुत जमाबन्दी व बैयनामों की ओर ध्यान दिलाया और दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद को पूर्ण रूप से पुष्ट बताते हुए वाद स्वीकार कर डिक्री किये जाने की प्रार्थना की।

राज्य पक्ष की ओर पैरोकार राज ने राज्य हितों को सुरक्षित रखते हुए वाद में निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

उभय पक्ष के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक पठन व मनन करने पर पाया कि मुताबिक जमाबन्दी चक 7 जी.एम.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 75 के संयुक्त खाता सं. 4/15 के पत्थर नं. 69/304 (12) के किला नं. 1 से 4/1.012 है0, 5/1 में 0.228 है0, 5/2 में 0.025 है0, 6/1 में 0.228 है0, 6/2 में 0.025 है0, 7 से 14/2.024 है0, 15/1 में 0.228 है0, 15/2 में 0.025 है0, 16/1 में 0.228 है0, 16/2 में 0.025 है0, 17 से 24/2.024 है0, 25/1 में 0.228 है0, 25/2 में 0.025 है0 = 6.325 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 गुरूदेव के नाम 2108/6325 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है और मुताबिक बैयनामा उक्त संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा अपने नाम अंकित 2108/6325 हिस्सा भूमि में से 0.633 है0 भूमि दिनांक [illegible] को व [illegible] है0 भूमि 26.11.2024 को पंजीबद्ध बैयनामों के द्वारा वादीया को [illegible] कर कब्जा सौंपा जाना दस्तावेजी रिकॉर्ड से सिद्ध है। पंजीबद्ध बैयनामों [illegible] अनुसार वादीया, प्रतिवादी सं. 1 गुरूदेव सिंह के नाम अंकित 2108/6325 हिस्सा भूमि में से 0.886 है0 अर्थात

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.15 19:05:32 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

कुल खाते में 886/6325 हिस्सा की खातेदार घोषित होने की पात्र खरीद के आधार पर बनती है। बाद घोषणा हस्तान्तरित 886/6325 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से कम कर 1222/6325 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी सं. 1 खातेदार रहेगा, इसलिए आनुपातिक रूप से दोनों भूमियों पर रहन का नोट अंकित रहेगा, किन्तु प्रथम प्रभार प्रतिवादी सं. 1 की भूमि पर रहेगा, उससे कुल रहन वसूल नहीं होने पर वादीया की भूमि से रहन वसूली योग्य है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीया स्वीकार संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 7 जी.एम.डी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 75 के संयुक्त खाता सं. 4/15 के पत्थर नं. 69/304 (12) के किला नं. 1 से 4/1.012 है0, 5/1 में 0.228 है0, 5/2 में 0.025 है0, 6/1 में 0.228 है0, 6/2 में 0.025 है0, 7 से 14/2.024 है0, 15/1 में 0.228 है0, 15/2 में 0.025 है0, 16/1 में 0.228 है0, 16/2 में 0.025 है0, 17 से 24/2.024 है0, 25/1 में 0.228 है0, 25/2 में 0.025 है0 = 6.325 है0 कमाण्ड मय खाला भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 गुरूदेव पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल साकिन घमण्डिया के नाम अंकित 2108/6325 हिस्सा यानि 2.108 है0 खातेदारी भूमि में से 0.886 है0 यानि कुल खाता में से 886/6325 हिस्सा भूमि का वादीया को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। शेष 1.222 है0 यानि कुल खाता में से 1222/6325 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 गुरूदेव पुत्र सुरजाराम के नाम बतौर खातेदार अंकित रहेगी। प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित कुल भूमि रहन होने से, बाद घोषणा दोनों अंकित खातेदारों के अंकन पर रहन का नोट आनुपातिक रूप से अंकित रहेगा, किन्तु वसूली पहले प्रतिवादी सं. 1 से होगी और बाद वसूली शेष रकम वादीया के हिस्से से वसूली योग्य होगी। इसी अनुसार तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीया के घोषित हिस्से में हस्तक्षेप न करें। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील [illegible] दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.15 19:05:32 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 08.05.2026 को [illegible] मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**
बइजलास – **भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.**

अनवान :–

करमजीत कौर पत्नी सज्जनसिंह जाति बाजीगर निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
–वादीया

बनाम

1. **गुरूदेव पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी घमण्डिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
2. **ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी घमण्डिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
3. **मीरां पुत्री सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी घमण्डिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
4. **शाखा प्रबन्धक, केनरा बैंक, शाखा सूरतगढ़**
5. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़**
6. **उप–पंजीयक, सूरतगढ़**

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 92–ए, 188 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 198 वर्ष 2025 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादीया श्री कुलविन्द्र सिंह व पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादीया स्वीकार संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 7 जी.एम.डी. 'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 75 के संयुक्त खाता सं. 4/15 के पत्थर नं. 69/304 (12) के किला नं. 1 से 4/1.012 है0, 5/1 में 0.228 है0, 5/2 में 0.025 है0, 6/1 में 0.228 है0, 6/2 में 0.025 है0, 7 से 14/2.024 है0, 15/1 में 0.228 है0, 15/2 में 0.025 है0, 16/1 में 0.228 है0, 16/2 में 0.025 है0, 17 से 24/2.024 है0, 25/1 में 0.228 है0, 25/2 में 0.025 है0 = 6.325 है0 कमाण्ड मय खाला भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 गुरूदेव पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल साकिन घमण्डिया के नाम अंकित 2108/6325 हिस्सा यानि 2.108 है0 खातेदारी भूमि में से 0.886 है0 यानि कुल खाता में से 886/6325 हिस्सा भूमि का वादीया को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। शेष 1.222 है0 यानि कुल खाता में से 1222/6325 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 गुरूदेव पुत्र सुरजाराम के नाम बतौर खातेदार अंकित रहेगी। प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित कुल भूमि रहन होने से, बाद घोषणा दोनों अंकित खातेदारों के अंकन पर रहन का नोट आनुपातिक रूप से अंकित रहेगा, किन्तु वसूली पहले प्रतिवादी सं. 1 से होगी और बाद वसूली शेष रकम वादीया के हिस्से से वसूली योग्य होगी। इसी अनुसार तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीया के घोषित हिस्से में हस्तक्षेप न करें।

नोज ....×......... मुबलिग [illegible] बाबत ....×.......... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×.......... [illegible] ....×...........आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक [illegible] करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक [illegible].05.2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.15 19:05:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर,
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़